

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

-: प्रेस-नोट :-

दिनांक: 19.11.2024

आयोग द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी—गृह विभाग (अभियोजन) प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2024 का आयोजन दिनांक 19.01.2025 को करवाया जाना प्रस्तावित है।

उक्त परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों अनुसार दिनांक 20.11.2024 से 26.11.2024 तक अभ्यर्थी का नाम, फोटो, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी ई-मित्र/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से रु. 500/- का शुल्क जमा कराते हुए आयोग के ऑनलाइन पोर्टल <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply Online Link अथवा SSO Portal से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर संबंधित परीक्षा के आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं।

उक्त परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन संशोधन के विकल्प का ही प्रयोग करें। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उपरोक्त ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधामात्र है। संशोधन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्त पूर्वानुसार ही रहेंगी। उपरोक्त संशोधन के संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल से अथवा फोन नं. 9352323625 व 7340557555 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापन के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव धारित नहीं होने के उपरान्त भी ऑनलाईन आवेदन किये हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के अन्तर्गत एवं आयोग की आगामी भर्ती परीक्षा से वंचित (Debar) करने की कार्यवाही की जा सकती है। अतः ऐसे अभ्यर्थी भी दिनांक 20.11.2024 से 26.11.2024 तक SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal का चयन कर My Recruitment Section के अन्तर्गत सम्बन्धित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध Withdraw Button पर क्लिक कर अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) कर सकते हैं।

(रामनिवास मेहता)
सचिव